कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम,भरतपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/2856/आरपीएससी–2013 /17–18 दिनांक 22.02.18 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर द्वारा लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 में लिपिकम ग्रेड–द्वितीय(कनिष्ठ सहायक)के पद पर लेवल 5 में प्रोवेशनल ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिणार्थी) चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आंवटित किये जाने के फलस्वरूप सूची में विवरणांकित आशार्थियों को लिपिक ग्रेड–द्वितीय (कनिष्ठ सहायक) के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम– 2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14600/–(चौदह हजार छः सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगेः–

1–नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है । इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा ।

2–कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।आशार्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र निर्धारित प्रफोर्मा में कार्मिक(क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक–24.2.11 एवं दिनांक–20.11.15 की अनुपालना में पूर्ति करावें।गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक–16.8.05 का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावें।

3–राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से वाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य एवं मान्य पाये जाने के अध्यधीन नियुक्ति दी जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से वाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

4–कार्यग्रहण कराने से पूर्व संस्था प्रधान आवदेन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें । यदि मिलान में कोई विसंगति हो तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे तथा अभ्यर्थियों से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लिया जावे की उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है । उनके त्रुटीपूर्ण , कूटरचित एवं जाली पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा ।

Scanned by CamScanner

5–अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदको के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही है।परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर कार्यग्रहण नही कराया जावें तथा उसके संबध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडावर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चिता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावें।

6–कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चिता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।

7–परिवीक्षाकाल अवधि में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्वि देय नही होगी।

8–परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि के फिक्स रेन्यूनरेशन के अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते जैसे विशेष वेतन, महगाई भत्ता , मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता , महगाई वेतन (डी.पी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

9–कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबधी समस्त दस्तावेजो की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।

10–संबधित आशार्थी को कार्यग्रहण कराने से पूर्व दो राजपित्रत अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जावें।चरित्र संतोषजनक न होने की स्थिति में सेवा समाप्ति का अधिकार नियुक्ति अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

11–कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक–प. 7(3)कार्मिक/क–2/06पार्ट दिनांक–4.10.13 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबधी बचनबद्वता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

12–उक्त नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी0बी सिविल याचिका सं0–1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओ में पारित आदेश दिनांक–3.11.2017 एवं डी0बी0 अपील सं0–965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवणसिह में परित आदेश दिनांक–3.11.2017 व अन्य याचिकाओ/अपीलो के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

क. स.	वरीयता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	वर्तमान पता	वर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ग	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
1	30	चन्द्रमोहन धाकड	खूबीराम धाकड	एसीजीएम कोर्ट के पास,शिव कांलौनी,बयाना जिला भरतपुर–321401	BC	20.11.86	GENM	राउमावि घौंसिगा, पहाडी
2	316	कुलदीप सिह भातरा	छत्तर सिह	गांव पो0–बरौलीछार तह0–नदबई जिला भरतपुर–321614	BC	29.4.85	GENM	राउमावि नयावास, नदबई
3	1261	आजाद सिह	राजेन्द्रसिह	ग्रापो–सलैमपुरकला तह0–भुसावर जिला भरतपुर–321409	BC	7.12.91	GENM	राउमावि सहसन, पहाडी
4	4596	जीतेन्द्रसिह	धर्मसिह	नगर रोड तिराया ,गर्ल्स स्कूल के सामने वार्ड न0–11 नदबई जिला	SC	8.4.94	SCM	राउमावि बांसीपहाडपुर, रूपवास

Scanned by CamScanner

			भरतपुर–321602				
	4620	सुमन	सुघड सिह	गांव व पो0–तुहिया तह0 व जिला भरतपुर–321001	GEN WE	5.7.92	GENF	राउमावि सिकरौरी, कुम्हेर
6	4638	पवन कुमार	वीरीसिह	नगला हीरादास, नुमाइस रोड,भरतपुर	SC	10.8.95	SCM	राउमावि भण्डारा, कांमा
7	5835	विपुल कुमार मीणा	विशम्बर सिह मीणा	बासन गेट नमक कटरा, मीणाओ का घेर, भरतपुर –321001	ST	23.11.92	STM	राउमावि पीपलखेडा, पहाडी

नोट–उक्त आशार्थियों के दस्तावेजो की जांच अभी इस कार्यालय स्तर पर नही की गई है।अतः संबधित संस्था प्रधानो को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिको को कार्यग्रहण कराने से पूर्व स्थानीय कार्यालय में दस्तावेजों की जांच हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।एवं स्थानीय कार्यालय से सूचना प्राप्त होने पर ही इन्हे कार्यग्रहण कराया जावें।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 23.3.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावें एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

(रामकेश मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–प्रथम,भरतपुर

क्रमांकः–जिशिअ /भरत/माध्य–I/संस्था–2/फा–क0सहा0नियु0/2017–18/ 68 दिनांक :–9.3.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्यमंत्री,राजस्थान सरकार जयपुर
2–प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
3–शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
4–शासन उप सचिव, कार्मिक(क–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
5–सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7–उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर
8–जिशिअ मा–II भरतपुर को संबधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर निवेदन है कि मूल आवेदन पत्र आज ही संबधित विधालयों को भिजवायें जाने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
9–संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित आशार्थी (स्पीड पोस्ट)/रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–प्रथम,भरतपुर

Scanned by CamScanner